



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 6 जून, 2022

ज्येष्ठ 16, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 490/वि०स०/संसदीय/74(सं)-2022

लखनऊ, 28 मई, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28 मई, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 संक्षिप्त नाम और
कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 7 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
29 सन् 1974 द्वारा
यथासंशोधित और
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 10
सन् 1973 की
धारा 4 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) के खण्ड (अ) में, शब्द “आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़” के स्थान पर शब्द “महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़” रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की अनुसूची में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 16 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टि में शब्द “आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़”, के स्थान पर, शब्द “महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़” रख दिये जायेंगे।

निरसन और
व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 2
सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों में संशोधन करने तथा उन्हें समेकित करने के लिये अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2019) के माध्यम से उक्त अधिनियम में संशोधन करके जिला आजमगढ़ में “आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़” नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।

श्रावस्ती सम्राट वीर सुहेल देव, प्रारम्भिक ग्यारहवीं शताब्दी में भारत के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय धर्म, समाज, सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण को अपना कर्तव्य माना और राष्ट्र की पहचान का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम संगठनात्मक शक्ति को प्रदर्शित किया। धर्म, समाज, सभ्यता, संस्कृति का संरक्षण करने के लिए उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुये और जनसाधारण की भावनाओं के अनुरूप पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 और अनुसूची में संशोधन करके “आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़” का नाम परिवर्तित कर “महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़” किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973

धारा 4 (1-क) “(ज) एक विश्वविद्यालय जिसे आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के रूप में जाना जायेगा;”
मूल अधिनियम की अनुसूची में,—
क्रम संख्या 14 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:—

1	2	3
“15.	सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर”	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले
“16.	आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़”	आजमगढ़ और मऊ जिले

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 336/XC-S-1-16-S-2022
Dated Lucknow, June 6, 2022

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2022 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 28, 2022.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
BILL, 2022

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2022. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 7, 2022.

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974	2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the "principal Act", in clause (J) of sub-section (1-A) <i>for</i> the words "Azamgarh State University, Azamgarh " the words "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" shall be <i>substituted</i> .	
Amendment of Schedule	3. In the Schedule to the principal Act, <i>for</i> the entry appearing at serial no. 16 in Column no. 2 of the said Schedule, <i>for</i> the words " Azamgarh State University, Azamgarh" the words "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" shall be <i>substituted</i> .	
Repeal and saving	4. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.	U.P. Ordinance no. 2 of 2022

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) has been enacted to amend and consolidate the laws relating to certain Universities in Uttar Pradesh. By amending the said Act through the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2019 (U.P. Act no. 6 of 2019), a University has been established in Azamgarh district by the name of "Azamgarh State University, Azamgarh".

Shravasti emperor Veer Suhel Dev was a prominent leader of India in the early eleventh century. He considered the protection of Indian religion, society, civilization and culture as his duty and showed the best organization power to protect to the identity of the nation. In view of his contribution for the protection of religion, society, civilization, culture and in accordance with the sentiments of the general public, it was decided to change the name of "Azamgarh State University, Azamgarh" to "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" by amending section 4 and Schedule of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 2 of 2022) was promulgated by the Governor on January 07, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY

Mantri,

Uccha Shiksha.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.